

सफाई व्यवस्था

छावनी परिषद् अपने नागरिकों की सुविधा के लिए कूड़ा करकट उठाना , गलियों एवं नालियों की सफाई करना , सड़कों एवं मुख्य मार्गों , सार्वजनिक शौचालयों , बाग बगीचों का निर्माण एवं रख रखाव करता है।

शिकायत निवारण :- छावनी परिषद् की सफाई व्यवस्था के बारे में किसी भी शिकायत का निर्माण यदि 24 घण्टों में न हो तो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया जा सकता है। यदि दो दिनों तक शिकायत का समाधान न हो तो सीधा मुख्य अधिशासी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

छावनी परिषद् नागरिकों के कर्तव्य

1 सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की सफाई का स्वयं ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट छावनी परिषद् द्वारा उपलब्ध कराए गए कूड़ादानों के अतिरिक्त इधर उधर मत फेंकें।

2 सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि वे खुले स्थानों में मल एवं मूत्र का त्याग कदापि न करें। इस कार्य हेतु सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का उपयोग सुनिश्चित करें।

3 सभी नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पालतू जानवरों को सड़कों एवं गलियों में खुला ना छोड़ें।

4 सभी नागरिकों को चाहिए कि वे भवन निर्माण में उपयोग होने वाला सामान गलियों सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह न रखें कि जिसमें अन्य नागरिकों को असुविधा हो।

5 सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि वे किसी प्रकार का सामान सड़कों एवं गलियों में इस प्रकार न रखें कि आने जाने वाले को किसी प्रकार की असुविधा हो।

6 छावनी परिषद की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि न करें।

7 छावनी परिषद् के नागरिक किसी प्रकार के प्लास्टिक के लिफाफें एवं अन्य सामान का इस्तेमाल न करे।

8 सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि वे खुले में पड़े कूड़े करकट के वारें में छावनी परिषद् को सूचित करें। यदि किसी मृत जानवर का शरीर कहीं पर पड़ा मिले तो इसके बारे में तुरन्त छावनी परिषद् को सूचित करें।

Sanitation

Bakloh Cantonment Board is overall responsible for Sanitation of Cantonment Area such as garbage lifting, waste disposal, cleaning of drains, public roads, group latrines and maintenance of parks and gardens.

Incharge Of The Department

Male Health Supervisor, Cantonment Board.

Complaints

Complaint regarding non-sweeping/cleaning of streets/roads and regarding non-collection/removal of garbage will be attended to on the day.

Grievances Redressal Mechanism

In the case the complaint is not attended to within 24 hours of the registration of the complaint, the male health supervisor may be approached. If the problem persists beyond two days, the CEO may be approached directly.

Citizens Responsibility

1. The citizen should not throw garbage or waste anywhere in the Cantonment except in the dust-bins/receptacles specially provided for throwing of garbage.
2. The citizen should not urinate or defecate on streets/roads/open places.
3. Citizens should not allow their animals to let loose on the roads or streets.
4. Citizens should not deposit any building materials on the roads or streets or any public place.
5. Citizens should not place anything on roads/streets that obstructs public from enjoying the full benefit of the road/street.
6. Citizen should not hawk or expose for sale in any place any article what so ever without the permission of Cantonment Board.
7. The citizen should not use the plastic and other non biodegradable material as far as possible.
8. Citizen should not allow the exit from their premises, water from any sink, drain urinal or latrine.
9. Citizen should inform the Cantonment Board if they find any unattended garbage, wastes, corpses of animals etc.